महिला उत्पीड़न के सामाजिक–सांस्कृतिक कारक

मनोज कुमार सरोज
शोधछात्र, समाजशास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
Email : manoj19450666320@gmail.com

सारांश

भारत का संविधान लिंग, जाति, रंग आदि का भेद मिटा कर सबको समानता का अधिकार प्रदान करता है, किन्तु स्वतन्त्रता मिलने के इतने वर्षों बाद भी भारतीय समाज में महिला–पुरुष असमानता व्याप्त है। पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुष शासक एवं महिलाएं शोषित बनकर रह गई हैं। महिलाओं के सम्बन्ध में समाज में प्रचलित अवधारणाओं के कारण भी इनकी स्थिति कमजोर हुई है। भारतीय संविधान में कहने के लिए तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आज भी बाल–विवाह, वेश्यावृत्ति, विज्ञापनों में देह प्रदर्शन, नौकरियों में अभद्रतापूर्ण व्यवहार, यौन अत्याचार, बलात्कार, दहेज के लिए टिप्पणी करना गर्भ में बालिका की हत्या जैसे महिला विरोधी क्रिया–कलाप समाज में व्याप्त हैं। वैसे हमारे संविधान में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कई कानून तथा संवैधानिक प्रावधान बनाए गये हैं। लेकिन केवल कानूनों के निर्माण से महिलाओं को घर में तथा समाज में सुरक्षा एवं शांति प्राप्त नहीं होगी अपितु स्त्रियों के सम्बन्ध में पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

प्रस्तावना

मानव अधिकार मानव मात्र के नैसर्गिक, अविच्छेद्य एवं अनन्य अधिकार हैं। ये व्यक्तित्व के विकास, शोषणरहित समाज के निर्माण, आर्थिक समृद्धि और विश्व शान्ति के लिए अपरिहार्य हैं। मानव अधिकारों की अपरिहार्यता पर दीर्घकालिक संघर्ष के बाद आम सहमति सम्भव हो सकी है किन्तु अधिकारों की आवश्यकता, प्रकृति एवं क्रियान्वयन के विविध पक्षों पर आज भी विवाद है। जिन पक्षों पर आम सहमति है वह भी सशर्त है। इसका मूल कारण यह है कि लोकतंत्र, प्रगति एवं विकास की उल्लेखनीय व्यवस्थाओं में, लैंगिक न्याय, लैंगिक समता उपेक्षित है एवं महिलाएँ हाशिए पर हैं (येरणकर, 2013)

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता', कदाचित किसी भी सभ्यता एवं संस्कषति में नारी के लिए इतना महान उद्घोष उपलब्ध नहीं होगा, यह सत्य है, परन्तु यथार्थ यह भी है कि कन्या भ्रूण हत्या से लेकर जीवन के प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक क्षेत्र में महिलायें सभ्यता के प्रारम्भ से ही लिंगभेद का आखेट होती चली आ रही हैं (रायजादा, 2000)।

द्विवेदी एवं त्रिपाठी (2013) के अनुसार महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि इसकी जड़े सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं। वैसे तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारणों को समाप्त किये बिना उसका पूर्ण निदान संभव नहीं पर यदि पाश्चात्य एवं विकसित देशों पर दृष्टिपात करे तो ऐसा लगता है कि इसका कारण मानवीय संरचना व स्वभाव में अंतर्निहित होने के कारण जड़ से इसका उन्मूलन सम्भव नहीं है। प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। व्यावहारिक स्वरूप यही मांग करता है कि एक ऐसी सामाजिक पहल हो जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले। वर्तमान में भारतीय महिलाएँ समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्तत सहभागिता कर रही है परन्तु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर सड़कों एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों में व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई है। इसमें शारीरिक, मानसिक व यौन सभी प्रकार की हिंसा शामिल है (प्रताड़ना, छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार, भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, दहेज मृत्यु आदि)। विकास–खण्डों और जिलों में ही आजमाया जाता है। व्यापक और सार्वभौमिक कार्यक्रम का रूप उसे चुनिंदा जिलों में सफलता के बाद ही मिलता है और कई बार तो इससे पहले ही उसका सारा जोश ठण्डा जाता है। किशोरियों को पौष्टिक आहार प्रदान करने वाले कार्यक्रम, डी0डब्ल्यू0सी0आर0ए0 और सबला कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण के परिणाम हैं।

कोचर (2013) का मत है स्त्रियाँ समाज के निर्माण, पोषण और विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं यह एक सर्वविदित तथ्य है। परन्तु उनके इस योगदान को प्रायः नजर अंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वह सब उनके सहज स्वाभाविक कर्त्तव्य में शुमार किया जाता है। उन्हें समाज में वह स्थान नहीं मिल पाता जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार हैं। उन्हें पितृसत्तात्मक समाज में दोयम दर्जे के नागरिक का दर्जा मिला हुआ है। उन्हें शिक्षा और घर से बाहर के जीवन में सीमित भूमिका देकर तमाम अवसरों से वंचित कर दिया जाता रहा है। यही नहीं उनके बारे में तमाम भ्रामक मिथक भी समाज में व्याप्त रहे हैं। उसे शक्ति, धात्री, जननी और देवी भी कहा गया और उनके शोषण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गयी। आज भी बाल–विवाह, भ्रूण–हत्या, यौन शोषण और विभिन्न पूर्वाग्रह विभिन्न मात्रा में बदस्तूर कायम है। यह एक अजीब विडम्बना की स्थिति है। कानून की व्यवस्था सामाजिक प्रथाओं, अंध विश्वासों और दुरागृहों के मुकाबले कमजोर पड़ने लगती है। खाप पंचायतों द्वारा वयस्क युगलों को मृत्युदण्ड देना और कन्या की बलि चढ़ा देने की लोम हर्षक घटनाएं इसी तरह का संकेत देती हैं कि भारतीय समाज में स्त्री को उसका हक दिलाने की यात्रा अभी भी संघर्षपूर्ण और लम्बी है।

भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिला वर्ग माँ के गर्भ से मष्त्यु की गोद तक शोषण, दमन, अत्याचार एवं उत्पीड़न का शिकार है। इस पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुष शासक एवं महिलाएं शोषित बनकर रह गई हैं। महिलाओं के सम्बन्ध में समाज में प्रचलित अवधारणाओं के कारण भी इनकी स्थिति कमजोर हुई हैं। भूमि के स्वामित्व, उत्पादन के सामानों पर नियंत्रण तथा निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के हाथों में होने के कारण महिलाएं आर्थिक रूप

से पुरुष को देवता, अन्नदाता एवं स्वामी मानती हैं। आर्थिक विषमता के परिणामस्वरूप स्त्री–पुरुष के मध्य अंतर उत्पन्न हुआ और महिलाओं की स्थिति अधीनस्थ की हो गई। महिलाओं की इस स्थिति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक कारण है– पुत्र प्राप्ति की लालसा। पुत्र को परिवार का उत्तराधिकारी, वंशबेल, संपत्ति का रखवाला एवं कुलदीपक माना जाता है। इस मानसिकता के कारण स्त्रियाँ युगों–युगों से शोषित होती चली आ रही हैं। पुरुष महिला विरोधी मानसिकता, सामाजिक व्यवस्था, अर्थतंत्र, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक तंत्र, प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं तथा महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं।

भारतीय समाज में कहने के लिए तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त है लेकिन वास्तविकता आज भी देखी जा रही है कि विवाह, तलाक काम, सम्पत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ बराबरी के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव न किया गया हो। महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई है जिससे कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नहीं हैं। समान अधिकारों के वातावरण के बावजूद महिलाओं को व्यवहारिक जीवन में गौण स्थान प्राप्त है। बड़ी संख्या में पुरुषों द्वारा शोषण से वे अत्याचार का शिकार होती हैं। बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विज्ञापनों में देह प्रदर्शन, नौकरियों में अभद्रतापूर्ण टिप्पणियों की शिकार, यौन अत्याचार, बलात्कार, बहुओं को दहेज के लिये जलाना, गर्भ में बालिका की हत्या जैसे महिला विरोधी जघन्य क्रिया–कलाप हमारे समाज में चेतना एवं जागरूकता बढ़ने के बाद भी मुँह उठाये हुये हैं। इसके अतिरिक्त महिलायें दोहरी नैतिकता का शिकार बनी हुई हैं। जो पुरुषों के लिये जायज हैं वह महिलाओं के लिये नाजायज है, उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है जोकि एक संवैधानि अधिकार है और उन्हें हमेशा किसी न किसी पुरुष (कभी पिता, कभी पति, कभी पुत्र) के अधीन रहना पड़ता है।

नॉर्थ यूनिवर्सिटी, अमेरिका द्वारा वर्ष 2006–07 में पश्चिम बंगाल के 495 गाँवों के 8453 किशोर–किशोरियों और उनके माता–पिता पर किये गये सर्वे में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया कि जिन गाँवों में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, वहाँ की तुलना में आरक्षण वाले गाँवों में माता–पिता के बीच बच्चों की शिक्षा को लेकर लिंगभेद 25 प्रतिशत और किशोरों में 32 प्रतिशत कम हुआ था। जिन गाँवों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित थीं, वहाँ अधिक लड़कियाँ स्कूल जाती थी और घर के कामों में कम समय बिताती थीं। 2008 कि एक सर्वेक्षण के अनुसार मात्र 11प्रतिशत स्त्रियों ने यह साहस दिखाया और वे भी हार गईं। एक तिहाई स्त्रियों ने माना कि उनके पतियों ने उन्हें दुबारा चुनाव लड़ने के लिए हतोत्साहित किया।

बुच (2012) के अनुसार महिलाओं हेतु नियोजन के मार्ग में सबसे बड़ी रूकावट और चुनौती, पुरुष–प्रधान समाज से आती हैं। उनके विरोध और प्रवृत्तियों से निपटना एक टेढ़ी खीर है। उनका यह विरोधात्मक रवैया महिला–केन्द्रित कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन न मिलने का प्रमुख कारण है। महिला केन्द्रित कार्यक्रमों को अन्य लक्षित सामाजिक समूहों के लिए बने कार्यक्रमों के समान महत्त्व नहीं मिलता। महिलाओं के कार्यक्रमों को चाहें जितना सोच–विचार कर बनाया जाए, उसे केवल कुछ चुने हुए पुत्रियों को संपत्ति, जमीन जायदाद,

शिक्षा, पोषण, चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि से वंचित किया है। यही कारण है कि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष पांच लाख कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है। 1986 से 2006 के अंतराल में लगभग एक करोड़ कन्या भ्रूणों की कोख में हत्या की गई। भारत में स्त्री–पुरुष लिंगानुपात में अंतर का सर्वाधिक अहम कारण गरीबी एवं पुत्रों का अत्यधिक महत्त्व है। यहाँ प्रतिवर्ष पैदा होने वाली 15 लाख बच्चियों में से लगभग 1.5 लाख बच्चियाँ अपने प्रथम जन्म दिन से पूर्व ही मर जाती हैं। गरीबी के कारण लड़कियों की कम खुराक, कम कैलोरी, कुपोषण इत्यादि के कारण युवावस्था भी बुढ़ापे और कमजोरी में बदल जाती हैं। भारत में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। दलित, जनजातीय एवं पिछडी जातियों की महिलाओं की स्थिति संपन्न वर्गों एवं जातियों की महिलाओं से भी बदतर है। मातृत्व मृत्युदर का चिकित्सा एवं सामाजिक कारणों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। महिला मृत्युदर अधिक होने से भी लिंगानुपात में असंतुलन उत्पन्न होता है। महिलाओं की संख्या में गिरावट के कारण यौन हिंसा, बाल शोषण, पत्नियों की अदला–बदली, बच्चियों का यौन उत्पीड़न इत्यादि मामले बढ़े हैं। लड़कियों की खरीद–फरोख्त के मामले भी बढ़े हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अत्याचार दिन–प्रतिदिन बढ़ते ही जा रह हैं। यह अत्याचार एवं हिंसा ग्रामीण, शहरी, शिक्षित एवं अशिक्षित व्यावसायिक एवं गैर–व्यावसायिक, नौकरीपेशा एवं गृहणी, बच्ची एवं अधेड़ सभी वर्गों में बढ रही है। देश में आज महिलाएं घर–बाहर, गाँवों तथा शहरों, महानगरों तथा कस्बों सभी जगह असुरक्षित हैं। विवाहित महिलाओं के पति, सास, ससुर, कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर नियोक्ताओं, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों एवं सहपाठियों, गली एवं बाजार में गुण्डों द्वारा हिंसा, उत्पीड़न, मारपीट, चीरहरण, छेड़खानी, यौन शोषण इत्यादि का सामना करना पड़ता है (मोहन, 2012:45)।

स्त्रियाँ समाज के निर्माण, पोषण और विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है यह एक सर्वविदित तथ्य है। परन्तु, उनके इस योगदान को प्रायः नजर अंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वह सब उनके सहज स्वाभाविक कर्त्तव्य में शुमार किया जाता है। उन्हें समाज में वह स्थान नहीं मिल पाता जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार हैं। उन्हें पितृसत्तात्मक समाज में दोयेम दर्जे के नागरिक का दर्जा मिला हुआ है। उन्हें शिक्षा और घर से बाहर के जीवन में सीमित भूमिका देकर तमाम अवसरों से वंचित कर दिया जाता रहा है। यही नहीं उनके बारे में तमाम भ्रामक मिथक भी समाज में व्याप्त रहे हैं। उसे शक्ति, धात्री, जननी और देवी भी कहा गया और उनके शोषण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गयी। भारतीय समाज में स्त्री की उसका हद दिलाने की यात्रा अभी भी संघर्षपूर्ण और लम्बी है (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रतिवेदन, 2013)।

भारतीय स्त्रियाँ चांद पर जा सकती हैं, हिमालय पर चढ़ सकती हैं, फिर भी अन्याय, शोषण, अत्याचार, यौनाचार, उत्पीड़न एवं भेदभाव की शिकार हैं। एक तरफ महिलाओं के उच्च स्थान प्राप्त कर लेने पर भी क्या ग्रामीण परिवेश एवं मलिन बस्तियों में रहने वाली एवं निम्न व मध्यम वर्ग की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हुआ है ? मध्यम वर्ग की महिलाओं के चेहरों पर असमानता, शोषण, दमन, अत्याचार की ज्वाला साफ नजर आती है। महिलाएं चाहें ग्रामीण अंचल

की हो या शहरी, कहीं न कहीं शोषण से पीड़ित हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा व बलात्कार के मामलों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। दहेज प्रथा महिलाओं की मौत का एक महत्त्वपूर्ण कारण हैं। महिलाओं की जिंदगी को नारकीय बनाने और अप्राकृतिक मौत का एक कारण है दहेज। दिन–प्रतिदिन दहेज हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। यह समझा जाता है कि महिलाएं घर की चारदीवारी के अंदर सुरक्षित हैं, परन्तु वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयाँ करती है। महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए जिम्मेदार स्वयं महिलाएं भी हैं। केवल कानूनों के निर्माण से महिलाओं को घर में सुरक्षा एवं शांति प्राप्त नहीं होगी अपितु स्त्रियों के सम्बन्ध में पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी (मोहन, 2012)।

भारत में स्वतन्त्रता मिलने के पहले, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। स्वतन्त्रता के बाद संविधान में किये गये अनेक प्रावधानों के जरिये महिलाओं की स्थिति में क्रमशः गुणात्मक सुधार अवश्य हुआ है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में अब भी कमजोर वर्ग की महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका है। उनकी कमजोर स्थिति के अनेक कारण हैं विशेषतः शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनैतिक एवं आर्थिक भागीदारी आदि की असमानता के कारण उनकी स्थिति निम्नतर बनी हुई है (शशि कुमार, 2013)।

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोक अधिनियम–2005 में स्त्रियों को शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक आर्थिक हिंसा से मुक्त कराने, सुरक्षित रखने का वादा किया। इस कानून के आने से पहले घर के अंदर स्त्रियों की सुरक्षा का कोई मतलब नहीं था। वे घर के अंदर घर के लोगों द्वारा प्रताड़ित होने के लिए मजबूर थीं। उन्हें भर पेट खाना नहीं देना, शिक्षा पाने के अवसर नहीं देना, उनके हिस्से की संपत्ति का खुद के लिए उपयोग करना, उन्हें गाली–गलौज ताने देना, मारना–पीटना या यौन हिंसा तक का प्रयोग करना जैसे आम बात है। यह सब कुछ घर के अंदर की बात है या आपस की बात है कह कर कोई भी अपराध करना सामान्य सी बात है। पर इस कानून ने इस स्थिति में बदलाव किया है। यह कानून स्त्रियों पर किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाया गया, पर यहाँ भी अदालती कार्यवाही वर्षों चल रही है। इसके अलावा कानून का प्रयोग शहरों में हो रहा है, जबकि ग्रामीण समाज, जहाँ घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर व्याप्त है, वहां इसका प्रयोग नहीं के बराबर है, कानून वहां अदालती इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है (जैन, 2013)।

यद्यपि कानून महिलाओं को अनेक प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं दी गई है किन्तु महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहीं हैं और वे सामाजिक रूप से अनुनयपूर्ण निर्योग्यताओं का तथा निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रही हैं। सामान्यतः वे अपने इन अधिकारों का उपभोग करने में अपनी अज्ञानतावश असफल हैं। यही कारण कानूनी रूप से पुरुषों के साथ समानता के उद्देश्य की प्राप्ति में असफल है। दूसरा अन्य कारक जो कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रयोग में बाधक हैं, वह है सामाजिक संरचना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती है। सामाजिक आदर्श एवं सामाजिक मूल्य जो कि स्त्रियों के द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के पक्ष में नहीं है और इस प्रकार के सामाजिक विधानों के व्यवहारिक

रूप से लागू होने में बाधक सिद्ध होते हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठते देखना नहीं है (येरणकर, 2013)।

जहाँ तक महिलाओं के सिविल अधिकारों का सम्बन्ध है, अभी भी परम्पराओं और प्रथाओं की विविधता ने जड़ें जमा रखी हैं। विधान की दृष्टि से, दृढ़ीकरण के पुराने सिद्धान्त से ऊपर समानता की अवधारणा की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। तुलनात्मक दृष्टि से सामाजिक कानूनों के संदर्भ में भारत की महिलाएँ अन्य देशों की महिलाओं से कहीं आगे हैं। लेकिन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले और उन्हें बढ़ावा देने वाले कानूनों का कार्यान्वयन केवल धीमा, असन्तुलित ओर लापरवाहीपूर्ण ही नहीं रहा है और केवल यही नहीं कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पुरुषों से अत्याधिक पीछे रखा जाता है, बल्कि यह भी कि कानूनों का प्रवर्तन अत्यन्त असन्तोषजनक रहा है (मोहिनी गिरी, 197:59)।

चौहान (1998) का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध परिवार एवं समाज में हिंसा की घटनाएं किसी भी दिन के लिए कोई नई बात नहीं है। घर–परिवार में पति और अन्य पुरुषों द्वारा बात–बात पर महिलाओं को गालियाँ देना, अकारण ही उनकी पिटाई करना, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना तथा यातनाएं देना, कामकाज के स्थलों पर सहकर्मी महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण ढंग से पेश आना एवं अश्लील मजाक करना, सार्वजनिक स्थलों पर उनके साथ छेड़छाड़ करना आदि ऐसे अनेक कृत्य हैं, जो पुरुषों द्वारा महिलाओं के मानवाधिकार हनन की कहानी कहते हैं, लेकिन मानवाधिकार की रक्षा के समर्थक इन मामलों में चुप हैं।

भारत का संविधान लिंग, जाति, रंग, आस्था आदि का भेद मिटा सबको अधिकार देने को कटिबद्ध है, किन्तु आजादी के 67 वर्ष गुजर जाने के बाद भी महिला पुरुष में असमानता जारी है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वह किसी की क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रहीं हैं तथापि महिलाओं पर शोषण एवं अत्याचार जारी है। आज महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं और अपनों के द्वारा ही शोषण, अत्याचार की शिकार हैं। गृह मंत्रालय के अपराध रिकार्ड ब्यूरों की रिपोर्ट के अनुसार 44 मिनट में एक अपहरण और 47 मिनट में एक बलात्कार होता है। प्रतिदिन लगभग 22 दहेज हत्याएं होती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के दिल्ली (16 प्रतिशत), हैदराबाद (8.1 प्रतिशत), बंगलोर (6.5 प्रतिशत) अहमदाबाद (6.4 प्रतिशत) और मुंबई (5.8 प्रतिशत) इन पांच बड़े शहरों में महिलाओं के खिलाफ अधिक अपराध होते हैं (एन0सी0आर0बी0, (2010)।

महिलाओं के साथ आपराधिक कर्म का प्रतिशत आई0पी0सी0 के अन्तर्गत आने वाले कुल आपराधिक कृत्य की तादाद में पिछले पांच सालों में बढ़ा है। साल 2007 में महिलाओं पर होने वाले अपराधों का प्रतिशत कुल अपराधों में अगर 8.8 प्रतिशत था तो साल 2015 में 9.4 प्रतिशत और वर्ष 2018 में, पिछले वर्षों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट–2012 के अनुसार 14 साल से कम उम्र की 12.5 प्रतिशत बच्चियों के साथ वर्ष 2012 में बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई,

वहीं 14 साल से 18 साल के बीच की 23.9 प्रतिशत लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आये। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होने के कुछ दिन पूर्व दिल्ली में बलात्कार के 1400 मामले कोर्ट में लम्बित पड़े थे, अगस्त तक यह आंकड़ा 1670 हो गया।

विभिन्न सर्वेक्षण अनुसंधान भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की काफी उच्च दर बताते हैं। एक सर्वेक्षण में, 50 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक व मानसिक हिंसा की बात कही और 40.3 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया था जिससे थप्पड़ मारना, मारना, लात मारना, डराना या फिर हथियार के प्रयोग और जबरदस्ती सेक्स करना शामिल है सर्वेक्षण–3 (2005–06) द्वारा भी इन ऑकड़ों की पुष्टि होती है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नेशन क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (2013) के ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 309546 मामले दर्ज दिये गये, जो पूर्व वर्ष से 26.7 प्रतिशत अधिक थे। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में यह वृद्धि विगत कई वर्षों से लगातार दर्ज हो रही है (वर्ष 2009 में 203804; वर्ष 2010 में 213585; वर्ष 2012 में 228649 व वर्ष 2017 में (244270)। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 32546 अपराध दर्ज किये गये गये, जो देश दर्ज कुछ मामलों के 10.5 प्रतिशत थे।

चौबे (2012) का मानना है कि महिला के प्रति हिंसा की परम् स्थिति ओनर कीलिंग अर्थात् सम्मान की खातिर की गई हत्या है जिसमें किसी परिवार वंश या समुदाय के किसी सदस्य की हत्या उसी परिवार, वंश, समुदाय व्यक्ति द्वारा कर दी जाती है। हत्यारे इस विश्वास के साथ हत्या को अंजाम देते हैं कि मरने वाले सदस्य के कृत्यों के कारण उस परिवार, वंश या समुदाय का अपमान हुआ है। आमतौर पर इस प्रकार के अपराध का शिकार स्त्रियां ही होती हैं। सम्मान के लिए किसी महिला की हत्या महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध हैं तथा मानवाधिकार व स्वतन्त्रता का खुला उल्लंघन है।

कुमावत (2013) का कहना है कि महिलायें आज भी सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों की वजह से घरेलू हिंसा के खिलाफ पुलिस में शिकायतत करने के लिए सामने आने से हिचकती हैं। औरतों को मर्दों के बराबर हद नहीं मिलता। उन्हें दया का पात्र समझा जाता है। कोई माने या न माने, पिता अपनी बेटी को और पति अपनी पत्नी को बराबरी का हक देने का जोखिम उठाने से अब भी घबराता है। समाज के एक बड़े भाग पीड़ित महिलाओं को शोषण, हिंसा, अत्याचार आदि से सुरक्षा प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। दूसरी ओर महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहना चाहिए, वे अपने दमन एवं शोषण के प्रति जागरूक हो, उनका विरोध करें, न्यायालय, कानून एवं अपने परिजनों से मदद मांगे। इसलिए औरतों को अपने वाजिब हक के लिए लड़ना जारी रखना होगा। लड़ाई लम्बी है, लेकिन कदम–कदम पर मिलने वाली कामयाबी निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की नींव रखेगी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नारीवादी आन्दोलन एंव मानवाधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी अभियानों ने भारत सहित संसार के अधिकांश देशों में महिलाओं के प्रति समानता, वैचारिक सहृदयता और उत्तरदायित्व बोध का सूत्र सामने रखा है, परन्तु सामाजिकता में पुरुष और महिला सम्बन्धी जो भावनात्मक अंसतुलन और विकृति धीरे–धीरे शताब्दियों में जम गयी है, उसके शर्मनाक रूपों को तथ्यों, तर्कों, विचारों, कानूनों और परम्पराओं के द्वारा परास्त करने में

काफी लम्बा समय लगेगा। विधिवेत्ता कितने ही कानून एवं दण्ड का प्रावधान करें, समाजशास्त्री कितने ही समाज सुधारक प्रयास करें, जब तक व्यक्ति की सोच में विशेषतः भूमण्डलीकरण के दौर में उपजी कुमनोवृत्तियों के शमन हेतु मूलभूत परिवर्तन नहीं आता, तब तक महिला उत्पीड़न एवं शोषण से मुक्ति नहीं पा सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ

1 अश्वनी, *ग्राम सभा का सशक्तीकरण* : समस्याएँ व समाधान, योजना, फरवरी, 2011
2 अनिल एवं लालाराम, *महिला हिंसा एवं लिंग भेद के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी उपबंध*, नई दिशाएँ, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, 2013, पृ0 **57–68**
3 आप्टे, *भारतीय समाज में नारी,* क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996
4 आहूजा, राम, *भारतीय समाज,* रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2011
5 ओझा, रवीन्द्र नाथ, *विकास में ग्राम सभा की भूमिका,* योजना, फरवरी, 2011
6 कुमार, पंकज, *महिला सशक्तीकरण एवं उनके अधिकार,* नई दिल्ली, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, 2013, पृ0 **29–44**
7 कुमावत, एस0एस0 *''महिलाओं के विरुद्ध असमानता एवं हिंसा''*, आई0जे0एस0आर0, वा0–2, इश्यू–4, अप्रैल–2013
8 कौशिक, आशा, *महिला अधिकारों का प्रश्न– भारतीय संदर्भ*, राज्यशास्त्र समीक्षा, जनवरी–दिसम्बर–2000
9 गर्ग मंजुलता एवं कुमार, पुनीत, *बौद्धिक–विमर्श के परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तीकरण की चुनौती : एक समीक्षा,* नई दिशाएँ, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, 2013, पृ0 **69–78**
10 चौहान, श्यामसुन्दर, *महिला मानवाधिकार और कुछ सवाल,* नई दिशायें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, मार्च–1998
11 जैन कमलेश, *''नारी सशक्तिकरण : कल, आज और कल''*, नई दिशाएँ, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, 2013, पष्0 **1–14**
12 दूबे, एस0 सी0, *भारतीय समाज,* विकास पब्लिकेशन, 1990
13 दुबे एस0सी0, *भारतीय ग्राम वाणी प्रकाशन,* दरियागंज नई दिल्ली, तृतीय संस्करण 2000
14 दुबे अभय कुमार, *भारत का भूमण्डलीकरण*, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2003
15 देसाई, नीरा, *भारतीय समाज में नारी,* मैकमिलन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1982
16 देसाई, नीरा, *भारतीय समाज में नारी,* मैकलिन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1982